न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान(आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 150 / 2023

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. राजेन्द्र टांक पुत्र ताराचन्द टांक जाति टांक (माली) निवासी धोलीवाडी का बास सोजत सिटी 2. रामजीवन टांक पुत्र ताराचन्द टांक जाति टांक निवासी धोलीवाडी का बास, सोजत सिटी निवासी उटडा रोड कृष्णा पुरी, वार्ड नम्बर 11 किशन गढ तहसील जिला अजमेंर राजस्थान 3. शिलादेवी पत्नी हरीकिशन जाति माली निवासी ढिरो का बास सोजतसिटी 4. गोपीकिशन पुत्र रतनलाल टांक जाति माली निवासी धोलीबाडी का बास सोजतसिटी	1. तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।	(भूमि–धारक) सोजत,

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री केलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 06/03/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक– 1 नया खाता 1915 व पुराना खाता 1859 के खसरा नम्बर 4055 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नं. 4056 रकबा 0.2100 खसरा नं. 4077 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर की प्राथीगण की संयुक्त रूप से खरीदशुदा, कब्जाशुदा आयी हुई स्थित है। इसी प्रकार पुराना खाता 1857 एवं नये खाता 1913 के खसरा नं. 4109 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नं. 4120 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नं. 4139 रकबा 0.2000 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म मेंहदी की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा कब्जाशुदा की आयी हुई स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीगण द्वारा मोहनलाल पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी धोलीबाडी बास सोजतसिटी जरीये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 17.08.2022 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । उपरोक्त वर्णित वादस्त कृषि भूमि प्रथम सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रेकर्ड में पुराने खसरा नं. 429/99, 429/94/1, 429/89/1, 429/94, 428/29, 429/3 और 429/76 वगैरा की राजस्व रेकर्ड में मुस्मात कंकुडी बेवा धुला बेटा अणदारो जातरा माली गाव रहिन नवला बेटा मालारो, केनो उर्फ काना वल्द धन्ना वगैराह इत्यादि के नाम मुर्तहिन इत्यादि के नाम दर्ज थी। कंकुडी द्वारा उक्त भूमि टिमी बेवा गणेश माली मुर्तहिन कब्जा कर्ज कटिदार दर्ज कि गई जो की सोजत परगना जोधपुर गर्वनमैंट द्वारा जारी 1997 की खतौनी में दर्ज थी। जिसके पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कंकुडी वगैराह द्वारा जो भूमि टिमी के पास मुर्तहिन रखी गई। उसे खातदारान द्वारा रहन मुक्त करवाकर पुर्व के खातेदारान द्वारा शकर वल्द पुखा को अंतरित कर दी। राजस्व रेकर्ड में उक्त मुर्तहिन रहन का नोट अंकित किया गया है व किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अकन होने का कोई उल्लेख नहीं है। खातेदारान द्वारा शंकर पुत्र पुखा को अंतरित करने के पश्चात बिना किसी रहन के राजस्व रेकर्ड सवत 2028-29 के खसरा मिलान में शकर वल्द पुखा के आगे रहन अंकित कर टिमी बेवा गणेश राम साकिन देह मुर्तहिन कब्जा कर्ज कंटिदार अंकित कर दिया जबकी शकर वल्द पुत्र पुखा द्वारा अपेन कृषि भूमि को कभी भी टिमी बेवा गणेश के पास मुर्तहिन व रहन नही रखी गई। शकर वल्द पुखा का इंद्राज किया गया उस वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा पुराने रहिन व मुर्तहिन के नोट को नहीं हटाकर पूर्व की भाति अंकित कर दिया गया। वास्तविकता में शंकर वल्द पुखा द्वारा कभी भी टिमी के पास रहन रखी ही नहीं थी। उसके पश्चात भवरी बेवा सुजाराम द्वारा उपरोक्त खरीदशुदा भूमि को मोहनलाल पुत्र सीमाराम जाति माली को दिनांक 29.09.1978 को बेचान कर दिया जिसमें किसी प्रकार का रहन या मुर्तहिन होने का उल्लेख नहीं है। उसके पश्चात मोहनलाल पुत्र सीमाराम द्वारा उक्त भुमि को प्राथीगण को विक्रय कर कब्जा सुर्पुद कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश निरंतर राजस्व रेकर्ड में रहन व मुर्तहिन का नोट नहीं हटाया। व आज भी यथावत है जिसकारण प्रार्थीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि के संबंध में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि में रहन व मुर्तहिन नोट को हटाया जाकर रेकर्ड दुरस्त करने एवं निस्पादित बेचान दस्तावेज 17.08.2022 के आधार पर नामांतरकरण में दर्ज करवाने की इस्तदुआ की है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पेरा संख्या 01 व 02 स्वयं सिद्ध करने व अन्य पेरा कानूनी होना अकित करते हुए साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा साबित करना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। एवं समाहित कि गई बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की वादस्त भूमि प्रिसिंपल विक्रेता मोहनलाल व उसके पुर्व खातेदारो की कृषि भूमि में तत् समय लिये गए रहन का इन्द्राज आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। जबकी वर्तमान में प्रार्थीगणों द्वारा किसी प्रकार का रहन वादस्थ भूमि पर नहीं ले रखा है। केवल पूर्व के इन्द्राज को दोहराते हुए आज तक वादस्त भूमि में रहन व मुर्तहिन का नोट अंकित चला आ रहा हैं जिसे दुरस्त किया जावे। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा रहन नोट हटाया जाकर दुरस्त इन्द्राज किये जाने में कोई आपति नहीं होना व्यक्त किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाह प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजान का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। भू-प्रबंधन विभाग के खसरा मिलान में सहायक भू अभि. अधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारी जोधपुर द्वारा खसरा नं. 4055 पर शंकर पुत्र पुखा के स्थान पर मोहनलाल पुत्र सीमाराम का नाम दर्ज किया जाने का नोट अंकित है। प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व खतौनी सम्वत 1997 में कुकंडी द्वारा टिमी बेवा गणेश के यहा भूमि रहन रखने से रहन का नोट राजस्व रकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

तत्समय अंकन किया गया था। तत्समय रूपये की आवश्यक होने पर खातेदारान द्वारा अपनी भूमि को रूपये देनदार के यहा भूमि रहन रखने पर इस प्रकार का नोट राजस्व रेकर्ड में अंकित किया जाता था। उसके पश्चात वादग्रस्थ भूमि का बैचान उतरोतर होता रहा एवं बैचान के साथ ही रहन का नोट भी निरन्तर राजस्व रेकर्ड में यथावत रहा जो आज भी राजस्व रेकर्ड में अंकित सुदा है। बैचान दस्तावेजात में खातेदारान द्वारा अपनी भूमि पूर्व में कही अन्य के यहाँ रहन इत्यादी नही होने संबधि अकन भी किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सेटलमेन्ट से पूर्व अंकित रहन का इन्द्राज आज तक बिना किसी आधार के त्रूटिवश अंकित चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते हे।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक– 1 नया खाता 1915 खसरा नम्बर 4055 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नं. 4056 रकबा 0.2100 खसरा नं. 4077 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर तथा इसी प्रकार सोजत चक–1 के नये खाता 1913 के खसरा नं. 4109 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नं. 4120 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नं. 4139 रकबा 0.2000 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म मेंहदी की कृषि भूमि दर्ज में दर्ज रहन व मुर्तहिन के नोट को दुरूस्त कर हटाये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। के नाम से दर्ज कर दुरूस्त प्रविष्टि किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)